सं.20003/01/2021-राभा(का.2)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
<u>राजभाषा विभाग</u>

नई दिल्ली सिटी सेंटर-।। बिल्डिंग,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली - 110001
दिनांक:01.06.2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय- तिमाही प्रगति रिपोर्ट व बैठकों से संबंधित ।

राजभाषा विभाग द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा बैठकों के संबंध में निम्न निर्णय लिए गए हैं -

क्रं.सं.	कार्य	संशोधन
1.	तिमाही प्रगति रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अपलोड करना	तिमाही प्रगति रिपोर्ट **(केवल चौथी तिमाही)** का पूर्ण विवरण अपलोड करने की समयसीमा **30.06.2021** तक बढ़ा दी गयी है। दिनांक 30 जून 2021 के बाद अपलोड होने वाली रिपोर्टों को 2020-21 के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय पुरस्कार मूल्यांकन हेतु शामिल नहीं किया जाएगा ।
2.	नराकास की बैठकें	नराकास की अप्रैल से जून 2021 की बैठकें अनिवार्य नहीं थी, परंतु जिन नराकासों ने उक्त माह में बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की, वैसी बैठकों को नराकास की नियमित बैठकों के रूप में गिना जाएगा। आगामी आदेशों तक नराकास की माह जुलाई 2021 तथा भविष्य में की जाने वाली बैठकें भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के जरिए कराई जा सकती है। बैठकों में संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के प्रमुखों को यथासंभव शामिल किया जाए। जिन ऑनलाइन बैठकों में क्षे.का.का. के कार्यालय प्रमुख शामिल नहीं हो पाएंगे, उन बैठकों के आयोजन के उपरांत बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग संबंधित क्षे.का.का. को मांग के अनुसार उपलब्ध कराई जाए ।
3.	विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	जो संगठन अपनी विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक **(केवल पहले तिमाही-वित्तीय वर्ष 2021-2022)** पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) में नहीं करा पाएं, वे वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी तिमाही (जुलाई-सितबंर 2021) में लंबित बैठकें करा सकते हैं। दोनों तिमाही की बैठकों में एक माह का अंतराल यथासंभव रखा जाए ।

2. कोविड-19 की वजह से जो नराकास अप्रैल से जून 2021 की बैठकें नहीं करा पाएं, वे नराकास की बैठकें ऑनलाइन माध्यम से आगामी तिमाही (जुलाई-सितबंर 2021) के दौरान आयोजित करके राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय को अवगत कराएं ।

मोहन 1/6/2021
(मोहन लाल वाधवानी)
निदेशक (का.)
फोन- 23438210

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय- अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें। उपरोक्त पैरा- 2 के संदर्भ में समेकित सूचना राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएं ।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं ।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव ।

Scanned by CamScanner